भारत सरकार विधि और न्यावय मंत्रालय न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नं सं.1856

जिसका उत्तर गुरुवार, 10 दिसम्बर, 2015 को दिया जाना है

उच्चतर न्यायालयों के सुझावों का कार्यान्वयन

+1856. श्री अशोक महादेवराव नेते :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न मुद्दों पर उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
- (ग) सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और इनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

उत्तर

विधि और न्या य मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) से (ग): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय प्रायः संप्रेक्षण करते है या सरकार को अपने निर्णयों में निदेश देते है, जिन पर विचार किया जाता है और जहां समुचित समझा जाता है, न्यायालय आदेशों के प्रवर्तन के भाग के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलनों और मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलनों में भी विभिन्न सुझाव देते हैं और सिफारिशें करते हैं। सरकार द्वारा कार्रवाई अपेक्षित करने वाली ऐसे सुझावों और सिफारिशों पर कृत-कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के प्रभारी न्यायाधीश प्रायः ई-न्यायालय परियोजना के अबाध कार्यान्वयन हेतु सुझाव देते है, जिन पर विचार किया जाता है और समुचित रूप से तत्काल कार्यान्यवन किया जाता है। कभी-कभी न्यायाधीशों से भी व्यक्तिगत रूप में सुझाव प्राप्त होते है। उदाहरणार्थ पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने जुलाई, 2015 में सुझाव दिया

है कि सुदूर क्षेत्रों में मुवक्किलों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों में सुधार करने के लिए कुटुंब न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन प्रक्रिया हटा दी जानी चाहिए। उसके सुझाव पर विचार करने के पश्चात्, उसे कुटुंब न्यायालय अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के विषय में सितंबर, 2015 में सूचित किया गया था, जिनको यदि कार्यान्वित किया जाए तो सुदूर क्षेत्रों में मुवक्किलों द्वारा सामना की जा रही मुश्किलों में सुधार होगा।
